

कार्यालय नगर पालिका, कपासन

जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

क्रमांक/न.पा.क./अग्निशमन/21-22/4563

दिनांक 23/09/21

श्रीमान् प्रधानाचार्य,
स्वामी विवेकानन्द राज. मॉडल स्कूल,
ब्लॉक कपासन जिला चित्तौड़गढ़

विषय :- फायर सेफटी सर्टिफिकेट प्रदान करने बाबत्।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक/स्वामी.वि.मॉ.स्कू/सामा/2021/SPL दिनांक 18.09.2021 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपके पत्रानुसार विद्यालय में फायर सेफटी हेतु आवश्यक सुविधाएं अग्निशमन यंत्र (संख्या 12) उपलब्ध है तथा यथोचित जगहों पर स्थापित कर रखा है। इन अग्निशमन यंत्रों को जुलाई 2021 को रिफिल भी करवा दिया गया है। विद्यालय में पानी की भी समुचित व्यवस्था है। इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण भवन अग्निशमन हेतु पूर्णतः सुरक्षित होना बताया जाकर विद्यालय के नाम फायर सेफटी सर्टिफिकेट चाहा गया।

पालिका कार्मिक द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया है, कपासन नगर से प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग होने से अग्निशमन की आवश्यकता उत्पन्न होने पर भिजवाई जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः आप द्वारा वांछित विद्यालय के नाम फायर सेफटी सर्टिफिकेट निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है, जो निम्न प्रकार है।

- 1 विद्यालय में फायर सेफटी हेतु आवश्यक सुविधाएं अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रखने होंगे तथा भविष्य में भी इन यंत्रों को अपने स्तर से रिफिल करवाने होंगे।
- 2 विद्यालय में फायर प्रोटेक्शन एवं लाईफ सेफटी की पूर्ण व्यवस्था हेतु भविष्य में आवश्यक कार्यवाही समय-समय सम्पादित करनी होगी।
- 3 विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था रखनी होगी।
- 4 विद्यालय को पेट्रोलियम भण्डारण के नजदीक धुम्रपान, मोबाईल, खुली आग व विद्युत लाईन पूर्ण रूप से निषेध रखनी होगी।
- 5 व्यवस्थापक को पेट्रोलियम भण्डारण के आस लगे व टुल्स स्पार्क प्रुफ चिंगारी रहित रखने होंगे।
- 6 व्यवस्थापक को एन बी सी के अनुरूप में निर्माण एवं विस्फोटक अधिनियम 2002 की पालना एवं अग्निशमन यन्त्र स्थापित किए जाने होंगे।
- 7 विद्यालय में फायर प्रुफ विद्युत केबल/तारों का ही उपभोग करना होगा।
- 8 अग्निशमन वाहन आने जाने का रास्ता खुला रखना होगा। साथही एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 8.2.2 वाणिज्यिक भवन के बिन्दु सं. (ज) के मापदण्ड अनुसार समस्त व्यवस्था विद्यालय को अपने स्तर पर करना होगी।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक में वर्णित निर्देशों विद्यालय द्वारा सुनिश्चित नहीं करने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा निर्माण पूर्ण होने पर अग्निशमन व्यवस्था कर स्थाई फायर अनापत्ति लिया जाना अनिवार्य होगा।

सादर!

अधिशायी अधिकारी
अधिसायी अधिकारी
नगर पालिका, कपासन
नगर पालिका, कपासन